न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 94 / 2017 राजस्व अपील

1. हरसहाय पुत्र महादेव जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.08.2017 धारा 91(3) एलआरएक्ट अनुवानी प्रकरण सरकार बनाम हरसहाय मि.न. 27 / 2017 न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा।

उपस्थिति : श्री बद्री प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :–

दिनांकः 21.11.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीछा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा में संवत 2074 में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 63 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर ग्वार की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है इस पर अपीलान्ट को नोटिस जारी होने पर अपीलान्ट गैर उपस्थित रहा तथा एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट को जवाबदेही शहादत सबूत का अवसर दिये बिना 50 गुना पेनल्टि एवं 30 दिवस का सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश फरमा दिये तथा अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी सबूत न होते हुए भी माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के उक्त निर्णय दिनांक 30.08.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि खसरा नंबर 63 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा पर संवत 2074 में फसल ग्वार काश्त कर अतिक्रमण कर लिया जिसे अपीलान्ट द्वारा खाली कर दिया गया है। अपीलान्ट 50 गुना शास्ति जमा कराने को तैयार है तथा भविष्य में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की किसी प्रकार की पुनरावर्ती नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.08.2017 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा पर संवत 2074 में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 63 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर ग्वार काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 30.08.2017 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमीत भूमि से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं 50 गुना शास्ति राशि जमा करवाने एवं भविष्य में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की पुनरावर्ती नही किया जाने का निवेदन किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलांट द्वारा ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा पर संवत 2074 में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 63 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं 50 गुना शास्ति राशि जमा करवाने एवं भविष्य में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की पुनरावर्ती नही किया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र को बाद जांच मौका सत्यापित करने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.08.2017 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
दौसा
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
दौसा
अति0 जिला कलक्टर, दौसा